

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि०), गुलाबपुरा

क्रमांक: एफ ()/पा.ला./एस-सामान्य/2016-17/

दिनांक :-


मुख्यमंत्री जल स्वालम्बन अन्तर्गत पाईप लाईन वित्तीय स्वीकृति आदेश

आयुक्त कृषि महोदय, कृषि आयुक्तालय राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 8()/आ.कृ./राकृवियो/जउप्र/सि.पा.ला./16-17/1872-2087 दिनांक 29.04.2016 तथा श्रीमान् उपनिदेशक कृषि (वि०) जि०प० भीलवाडा के आदेश क्रमांक/ 2016-17/593-96 दिनांक 03.05.2016 से NMOOP योजना के तहत पाईप लाईन उप मद में चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए प्राप्त होने से योजनान्तर्गत पाईप लाईन में समस्त श्रेणी के कृषकों एचडीपीई पाईप के लिए लागत का 50 प्रतिशत या रुपये 50 प्रति मीटर की दर तथा पी. वी. सी. पाईप के लिए लागत का 50 प्रतिशत या रुपये 35 प्रति मीटर की दर से या राशि 20/- प्रति मीटर लेफलेटेड लेमिनेटेड पाईप पर अधिकतम 15000 रुपये तक का अनुदान देय होने से निम्नांकित कृषकों द्वारा अपने खेत में पाईप लाईन स्थापित कर प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं जिसके विभागीय कार्मिक स० कू० अ०/ कृषि पर्यवेक्षक द्वारा भौतिक सत्यापन कर प्रमाणित किये जाने उपरान्त चालू वित्तीय वर्ष में आवंटित प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित कृषक को उनके नाम के आगे अंकित बैंक खाते में भुगतान करने की वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है ।

NMOOP सामान्य

क्र. सं.	नाम कृषक	पिता/पति का नाम	बैंक का विवरण			निवासी	श्रेणी	स.कृ.अ. क्षेत्र	पं.सं. क्षेत्र	एसएसडीजी टोकन न.	पाईप लाईन की ब्रान्ड			पाईप लाईन की लम्बाई (मी)	विक्रेता का नाम	बिल संख्या	बिल दिनांक	राशि (रु.)	स्वीकृत अनुदान(रु)
			बैंक का नाम	बैंक की शाखा	खाता संख्या						ब्रान्ड	मैक	मिमी						
1	UNKAR	MULA GURJAR	UNION BANK OF INDIA	BADNOR	414402010159598	भैरुखेडा	सामान्य	बदनोर	आसीन्द	1724338610010793	JAIN	PVC	75	428	HINGLAJ IRRIGATION ASIND	161	03.03.17	27950	13975
2	GULLA	HUKMA KUMAWAT	SBBJ	SHAHPURA	61073018861	अमरपुरा	सामान्य	शाहपुरा	शाहपुरा	1724276910035352	KATARIYA	PVC	140	300	OM AGROTECH KEKRI	39	02.02.17	37900	10500
3	BHERU LAL	NANURAM GURJAR	BOB	SHAMBHUGARH	16080100000470	जयनगर	सामान्य	शम्भुगढ	आसीन्द	1724140510120101	MIRAJ	HDPE	75	96	SHIV MACHINERY MART ASIND	733	15.03.17	9600	4800
योग													824			75450	29275		

(अक्षरे रूपये-उन्नतीस हजार दो सौ पिच्चेत्तर मात्र)



(किशन गोपाल जाट)


स्कीम प्रमारी कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण)

गुलाबपुरा

क्रमांक: एफ ()/पा.ला./एस-सामान्य/2016-17/ 6551-56

प्रतिलिपि :-

- 1 श्रीमान् संयुक्त निदेशक कृषि (शस्य) जल उपयोग प्रकोष्ठ कृषि निदेशालय, जयपुर।
- 2 श्रीमान् उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् भीलवाडा।
- 3 श्रीमान् ए० सी० पी० कृषि निदेशालय राज० जयपुर को भेजकर निवेदन है कि विभागीय वेब पोर्टल पर अपलोड करावें।
- 4 श्रीमान् उप कोषाधिकारी कोष कार्यालय हुरडा।
- 5 प्रमारी मजसा कृषि अधिकारी (पौ०स०) कार्यालय हाजा।
- 6 लेखा शाखा कार्यालय हाजा पालनार्थ।




(रामप्रसाद मीणा)

सहायक निदेशक कृषि (वि०)

गुलाबपुरा

दिनांक :- 18/03/17



(रामप्रसाद मीणा)

सहायक निदेशक कृषि (वि०)

गुलाबपुरा

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि०), गुलाबपुरा

दिनांक :-

क्रमांक: एफ ()/पा.ला./एस- /सामान्य/2016-17/

मुख्यमंत्री जल स्वालम्बन अन्तर्गत पाईप लाईन वित्तीय स्वीकृति आदेश

आयुक्त कृषि महोदय, कृषि आयुक्तालय राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 8()/आ.कृ./राकृवियों/जउप्र/सि.पा.ला./16-17/1872-2087 दिनांक 29.04.2016 तथा श्रीमान् उपनिदेशक कृषि (वि) जि०पी० भीलवाडा के आदेश क्रमांक/ 2016-17/593-96 दिनांक 03.05.2016 से **RKVY** योजना के तहत पाईप लाईन उप मद में चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए प्राप्त होने से योजनान्तर्गत पाईप लाईन में समस्त श्रेणी के कृषकों एचडीपीई पाईप के लिए लागत का 50 प्रतिशत या रूपये 50 प्रति मीटर की दर तथा पी. वी. सी. पाईप के लिए लागत का 50 प्रतिशत या रूपये 35 प्रति मीटर की दर से या राशि 20/- प्रति मीटर लेफलेटेड लेमिनेटेड पाईप पर अधिकतम 15000 रूपये तक का अनुदान देय होने से निम्नांकित कृषकों द्वारा अपने खेत में पाईप लाईन स्थापित कर प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं जिसके विभागीय कार्मिक स० कृ० अ०/ कृषि पर्यवेक्षक द्वारा भौतिक सत्यापन कर प्रमाणित किये जाने उपरान्त चालू वित्तीय वर्ष में आवंटित प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित कृषक को उनके नाम के आगे अंकित बैंक खाते में भुगतान करने की वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है ।

RKVY सामान्य

क्र. सं.	नाम कृषक	पिता/पति का नाम	बैंक का विवरण			निवासी	श्रेणी	स.कृ.अ. क्षेत्र	पं.सं. क्षेत्र	एसएसडीजी टोकन न.	पाईप लाईन की ब्राण्ड			पाईप लाईन की लम्बाई (मी)	विक्रेता का नाम	बिल संख्या	बिल दिनांक	राशि (रु.)	स्वीकृत अनुदान(रु)
			बैंक का नाम	बैंक की शाखा	खाता संख्या						ब्राण्ड	मेक	मिनि						
1	GHEWARCHAND	NANURAM KEER	BOB	SHAMBHUGARH	16080100005548	शम्भुगढ	सामान्य	शम्भुगढ	आसीन्द	1724140510119706	JAIN	PVC	90	300	SHIV MACHINARY MART ASIND	729	22.02.17	38400	10500
2	KANIYHA LAL	DEEPCHAND SHARMA	BOB	SHAMBHUGARH	16080100005914	जयनगर	सामान्य	शम्भुगढ	आसीन्द	1724140510120002	KASTA	PVC	75	400	SHIV MACHINARY MART ASIND	731	15.03.17	38000	14000
3	DEVI LAL	DEEPCHAND SHARMA	BOB	SHAMBHUGARH	16080100007829	जयनगर	सामान्य	शम्भुगढ	आसीन्द	1724140510120001	KASTA	PVC	75	400	SHIV MACHINARY MART ASIND	732	15.03.17	38000	14000
4	RAMCHANDRA	KHEMA GURJAR	BOB	SHAMBHUGARH	16088100011815	रघुनाथपुरा	सामान्य	शम्भुगढ	आसीन्द	1724140510120007	JAIN	PVC	75	345	HINGLAJ IRRIGATION ASIND	130	21.11.16	25350	12075
													1445					139750	50575

(अक्षरे रूपये-पच्चास हजार पांच सौ पिच्चेत्तर मात्र)

(किशन गोपाल जाट)

स्कीम प्रभारी कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण)
गुलाबपुरा

क्रमांक: एफ ()/पा.ला./एस- /सामान्य/2016-17/ 6557-62

प्रतिलिपि :-

- 1 श्रीमान् संयुक्त निदेशक कृषि (शस्य) जल उपयोग प्रकोष्ठ कृषि निदेशालय, जयपुर।
- 2 श्रीमान् उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् भीलवाडा।
- 3 श्रीमान् ए० सी० पी० कृषि निदेशालय राज० जयपुर को भेजकर निवेदन है कि विभागीय वेब पोर्टल पर अपलोड करावें।
- 4 श्रीमान् उप कोषाधिकारी कोष कार्यालय हुरडा।
- 5 प्रभारी मजसा कृषि अधिकारी (पी०सं०) कार्यालय हाजा।
- 6 लेखा शाखा कार्यालय हाजा पालनार्थ।

(रामप्रसाद मीणा)

सहायक निदेशक कृषि (वि०)
गुलाबपुरा

दिनांक :- 18/03/17

(रामप्रसाद मीणा)

सहायक निदेशक कृषि (वि०)
गुलाबपुरा